

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जालोर

क्रमांक: Kharif 2075/2021-22/OSMF 75 to 100%/4/

दिनांक: 01/12/2021

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2075/JAL/0003360

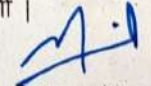
प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2075 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 18721-40 दिनांक 13.11.18 एवं 18874-94 दिनांक 19.11.18 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2075 (खरीफ-2018) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

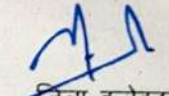
तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु.में)
बागोडा	16	Other Than SMF	75%-100%	160684
जसवंतपुरा	12	Other Than SMF	75%-100%	124984
चितलवाना	9	Other Than SMF	75%-100%	122400
रानीवाड़ा	2	Other Than SMF	75%-100%	27200
योग	39			435268

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।


जिला कलेक्टर,
जालोर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जालोर
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर
6. अति. जिला कलेक्टर, जालोर
7. तहसीलदार बागोडा, जसवंतपुरा, चितलवाना, रानीवाड़ा
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जालोर
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर
10. रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
जालोर